


राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें राज0 जयपुर
कमांक :- ई-18/एम/ /2017/ दिनांक :

आदेश


राज्य सरकार के आदेश कमांक एफ.11(7)वित्त/नियम/2008 दिनांक 12.09.2008 एवं संशोधित आदेश कमांक एफ.14(88)वित्त(नियम)/2008-1 दिनांक 31.12.2009 एवं दिनांक 05.07.2013 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार श्री शहाब अहमद सिद्धिकी, वरिष्ठ सहायक, खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, अरनोद, (प्रतापगढ) जिनकी राज्य सेवा में प्रथम नियुक्ति तिथि 07.07.1989 है, को 27 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर दिनांक 07.07.2016 से 9300-34800 व ग्रेड पे 4200 एसीपी स्वीकृत किया जाता है।

उक्त कर्मचारी का वेतन नियतन संबंधित प्रशासनिक अधिकारी द्वारा पृथक से किया जावेगा।


(राकेश शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक (प्रशा0)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राज0 जयपुर

कमांक :- ई-18/एम/ ^{ACP} /2017/2736 दिनांक : 29/12/12
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, प्रतापगढ।
2. खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, अरनोद, प्रतापगढ।
3. श्री शहाब अहमद सिद्धिकी, वरिष्ठ सहायक को सूचनार्थ।
4. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करे।
5. आदेश/निजी पत्रावली।


अतिरिक्त निदेशक (प्रशा0)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राज0 जयपुर